

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर(छ.ग.)

// विविध आदेश //

क्रमांक क/एक-15-3/2013,

सूरजपुर, दिनांक 17 सितम्बर, 2019

मैं, हेमंत सराफ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर (छ0ग0) पूर्व में जारी किये गये कार्य विभाजन आदेश को निरस्त करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 10(2)(3) और 194 एवं छ.ग. सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिविल जिला सूरजपुर एवं सत्र खण्ड सूरजपुर में पदस्थ न्यायाधीशों के मध्य निम्नानुसार नवीन कार्य-विभाजन करता हूँ, जो जारी दिनांक से प्रभावशील माना जावेगा।


अनु.	न्यायालय का नाम	भौगोलिक क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार जिसका निराकरण किया जाना है
1-	2-	3-	4-
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) सूरजपुर और मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सूरजपुर।	सम्पूर्ण सत्र खण्ड एवं सिविल जिला सूरजपुर।	<ol style="list-style-type: none"> 1. सत्र प्रकरण। 2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष सत्र एवं आपराधिक प्रकरण (एट्रोसिटीज) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के विरुद्ध होने वाले बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-28 के अंतर्गत दर्ज प्रकरण। 3. मुख्यालय में प्रस्तुत होने वाले दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 एवं 439 से संबंधित जमानत आवेदन पत्र। 4. Drugs & Cosmetics Act, 1940 के अंतर्गत adulterated drugs & spurious drugs से संबंधित अपराधों का विचारण। 5. Chhattisgarh Protection of depositors Interest Act, 2005 के अंतर्गत अपराधों का विचारण। 6. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी, सूरजपुर के न्यायालय से उत्पन्न उत्पन्न आपराधिक अपीलें एवं अपराधिक पुनरीक्षण।
		<p>तहसील सूरजपुर, भैयाथान, ओड़गी, प्रेमनगर, रामानुजनगर,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. स्थानीय एवं विशेष अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत सिविल एवं विविध अपीलें व निर्वाचन याचिकायें। 2. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधि. 1961 की धारा 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले चुनाव याचिकाएं। 3. नगर पालिक निगम के अंतर्गत आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सिविल अपीलें। 4. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 5. मानवाधिकारों के उल्लंघन से उद्भूत होने वाले प्रकरण। 6. भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 18 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा किये गये रिफरेंस। 7. लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम 1971 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 8. धारा 9 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विचारणीय ऐसे वाद, याचिका तथा आवेदन पत्र जो इस आदेश में किसी अन्य न्यायालय को आबंटित नहीं है। 9. अन्य अधिनियम के अन्तर्गत जिला न्यायाधीश द्वारा विचारणीय विवाद जो इस आदेश में अन्य न्यायालय को आबंटित नहीं किये गये हैं। 10. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर प्रेषित एवं अंतरित प्रकरण। 11. सूरजपुर जिले के अंतर्गत सूरजपुर, भटगांव, चांदनी (बिहारपुर) थानों से उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावा आवेदन धारा 163(ए), 166 एवं 140 मो0व्ही0एक्ट.1988 (संशोधित अधिनियम 1994) के अंतर्गत (प्रतापपुर न्यायालय के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों को छोड़कर) इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे। 12. रू0 40,000.01/- (चालीस लाख एक रुपये) से मूल्य

			<p>के सिविल वाद एवं आवेदन पत्र एवं उनसे उत्पन्न निष्पादित एवं विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>13. समस्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, सूरजपुर के न्यायालय से उत्पन्न सिविल प्रकरण में घोषित निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें तथा विविध अपील, उत्तराधिकार अधिनियम की अपीले।</p>
2	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सूरजपुर और अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सूरजपुर।	सत्र खण्ड सूरजपुर।	<p>1. राजस्व जिला सूरजपुर के सभी थानों, तहसील-प्रतापपुर को छोड़कर, से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध (रिप केसेस) एवं मुख्यालय में बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित मामले इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे।</p> <p>2. सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन पत्र एवं सिविल अपील, विविध सिविल अपीलें।</p>
			<p>1. ₹0 40,000,01/- से ₹0 50,000,00/- (चालीस लाख एक रूपये से पचास लाख तक) मूल्य के सिविल वाद एवं आवेदन पत्र एवं उनसे उत्पन्न निष्पादित एवं विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>2. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) सूरजपुर के न्यायालय से उद्भूत निष्पादन, विविध प्रकरण, उच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य आवेदन जिसका निराकरण अन्यथा उपलब्ध होने पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) द्वारा किया जाता रहा हो।</p> <p>3. जयनगर थानों से उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावा आवेदन धारा 163(ए), 166 एवं 140 मो0 व्ही0एक्ट.1988 (संशोधित अधिनियम 1994) के अंतर्गत (प्रतापपुर न्यायालय के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों को छोड़कर) इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे।</p> <p>4. जिला न्यायाधीश/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त प्रकार के प्रकरण।</p>
3	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम / भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम/सूरजपुर और प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सूरजपुर।	सत्र खण्ड सूरजपुर।	<p>1. भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण की सुनवाई हेतु विधि विभाग एवं विधायी विभाग रायपुर के अधिसूचना क्रमांक-5119/ 1931/21-बी/सी.जी./2013, दिनांक-22.6.2013 के द्वारा अधिसूचित किया गया।</p> <p>2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरण की सुनवाई हेतु विधि विभाग एवं विधायी विभाग रायपुर के अधिसूचना क्रमांक-10159/3787/21-बी/सी.जी./2013, दिनांक-30.10.2013 के द्वारा अधिसूचित किया गया।</p> <p>3. सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन पत्र एवं सिविल अपील, विविध सिविल अपीलें।</p>
			<p>1. ₹0 30,000,01/- से ₹0 40,000,00/- (तीस लाख एक रूपये से चालीस लाख तक) मूल्य के सिविल वाद एवं आवेदन पत्र एवं उनसे उत्पन्न निष्पादित एवं विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>2. रामानुजनगर थानों से उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावा आवेदन धारा 163(ए), 166 एवं 140 मो0 व्ही0एक्ट.1988 (संशोधित अधिनियम 1994) के अंतर्गत (प्रतापपुर न्यायालय के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों को छोड़कर) इस न्यायालय में पेश किये जायेंगे।</p> <p>3. जिला न्यायाधीश/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त प्रकार के प्रकरण।</p>
4	द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर/द्वितीय अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सूरजपुर।	सत्र खण्ड सूरजपुर।	<p>1. सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा सिविल अपील, विविध सिविल अपीलें एवं आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-438,439 दंड प्रक्रिया संहिता।</p>

			<p>1. ₹ 20,000,01/- से ₹ 30,000,00/- (बीस लाख एक रुपये से तीस लाख रुपये) मूल्य के सिविल वाद एवं आवेदन पत्र एवं उनसे उत्पन्न निष्पादित एवं विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>2. विश्रामपुर एवं झिलमिली थानों से उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावा आवेदन धारा 163(ए), 166 एवं 140 मो 0 व्ही0एक्ट.1988 (संशोधित अधिनियम 1994) के अंतर्गत (प्रतापपुर न्यायालय के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों को छोड़कर) पेश किये जायेंगे।</p> <p>3. जिला न्यायाधीश/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल एवं मो 0 दु0दावा प्रकरण।</p>
5	तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश[एन0डी0पी0एस0] तथा तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सूरजपुर।	सत्र खण्ड सूरजपुर।	<p>1. एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 के तहत प्रस्तुत होने वाले विशेष आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु विधि विभाग एवं विधायी विभाग रायपुर के अधिसूचना क्रमांक-8137/2673/21-बी/सी.जी./2015, दिनांक-30.10.2013 के द्वारा अधिसूचित किया गया।</p> <p>2. सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन पत्र एवं सिविल अपील, विविध सिविल अपीलें।</p>
			<p>1. ₹ 10,000,01/- से ₹ 20,000,00/- (दस लाख एक रुपये से बीस लाख तक) मूल्य के सिविल वाद एवं आवेदन पत्र एवं उनसे उत्पन्न निष्पादित एवं विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>2. प्रेमनगर एवं ओड़गी थानों से उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावा आवेदन धारा 163(ए), 166 एवं 140 मो 0 व्ही0एक्ट. 1988 (संशोधित अधिनियम 1994) के अंतर्गत (प्रतापपुर न्यायालय के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों को छोड़कर) पेश किये जायेंगे।</p> <p>4. जिला न्यायाधीश/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त प्रकार के प्रकरण।</p>
6	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रतापपुर।	सत्र खण्ड सूरजपुर।	<p>1. सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-438, 439 दंड प्रक्रिया संहिता।</p> <p>2. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रतापपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश के खिलाफ दायित्वक अपील/पुनरीक्षण।</p> <p>3. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रतापपुर के अधिकारिता के पुलिस थानों से उद्भूत प्रकरणों में दं.प्र.सं. की धारा 438 एवं 439 के अधीन जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण।</p> <p>4. तहसील-प्रतापपुर के सभी थानों से उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध (रेप केसेस) एवं बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-28 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की सुनवाई हेतु विधि विभाग एवं विधायी विभाग रायपुर द्वारा अधिसूचित किया गया। अपराधों से संबंधित मामले।</p>
		तहसील प्रतापपुर	<p>1. ₹ 10,000,01/- से अधिक मूल्य के सिविल वाद एवं आवेदन पत्र एवं उनसे उत्पन्न निष्पादित एवं विविध सिविल प्रकरण।</p> <p>2. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, प्रतापपुर द्वारा घोषित निर्णय, आज्ञाप्ति एवं आदेशों से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपीलें।</p> <p>3. स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें एवं अन्य प्रकरण।</p> <p>4. नगर पंचायत के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकायें एवं</p>


—

			<p>पुनरीक्षण।</p> <p>5. दिवाला अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।-</p> <p>6. प्रतापपुर की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले पुलिस थानों की स्थानीय अधिकारिता के अन्तर्गत उत्पन्न मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण धारा 163 (ए), 166 एवं 140 मोटर यान अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 1994) के अंतर्गत संबंधित दावा प्रकरण।</p> <p>7. धारा 18 एवं 20 हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>8. लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p>
7	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सूरजपुर	तहसील सूरजपुर ओड़गी प्रेमनगर	<p>1. रुपये 500001 से रुपये 100000/- (रुपये पांच लाख एक से रुपये दस लाख) तक मूल्य के सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।</p> <p>2. छ.ग.नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 एवं 142 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें।</p> <p>3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>
8	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सूरजपुर	तहसील रामानुजनगर भैयाथान	<p>1. रुपये 500001 से रुपये 100000/- (रुपये पांच लाख एक से रुपये दस लाख) तक मूल्य के सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।</p> <p>2. छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 एवं 142 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें।</p> <p>3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>
9	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश, सूरजपुर.	तहसील भैयाथान सूरजपुर प्रेमनगर	<p>1. रुपये 01 से रुपये 500000/- (रुपये एक से रुपये पांच लाख) तक मूल्य के सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।</p> <p>2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>
10	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के तृतीय अति. न्यायाधीश, सूरजपुर.	तहसील रामानुजनगर ओड़गी	<p>1. रुपये 01 से रुपये 500000/- (रुपये एक से रुपये पांच लाख) तक मूल्य के सिविल वाद एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।</p> <p>2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>
11	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के चतुर्थ अति. न्यायाधीश, सूरजपुर.	---	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण.
12	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, प्रतापपुर	तहसील प्रतापपुर	<p>1. रुपये 01 से रुपये 1000000/- (रुपये एक से रुपये दस लाख) तक मूल्य के व्यवहार वाद तथा उनसे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरण।</p> <p>2. छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 139 एवं 142 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें।</p> <p>3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</p> <p>4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये सिविल वाद, विविध सिविल वाद एवं अन्य प्रकरण।</p>



टीप :- (सिविल एवं आपराधिक)

1. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक-37/आर0जी0/2007 दिनांक- 08.02.2007 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में वाह्य न्यायालय प्रतापपुर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा उपापित सत्र प्रकरण एवं अपर सत्र न्यायाधीश, के समक्ष प्रस्तुत होने वाली आपराधिक अपीलें एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं, सत्र न्यायालय सूरजपुर को पंजीयन हेतु प्रेषित न की जाकर स्थानीय स्तर पर प्रतापपुर में पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीश,के न्यायालय में ही पंजीयन एवं विधिवत निराकरण हेतु प्रेषित किये जायेंगे।
2. पूर्व में कार्यरत न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है से संबंधित अपील/पुनरीक्षण/याचिकाएं न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश में प्रस्तुत किये जायेंगे।
3. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सूरजपुर के न्यायालय के निष्पादन हेतु प्रस्तुत प्रकरण प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सूरजपुर के न्यायालय प्रस्तुत किये जायेंगे।
4. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के निष्पादन हेतु प्रस्तुत प्रकरण प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश सूरजपुर के न्यायालय प्रस्तुत किये जायेंगे।
5. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश सूरजपुर के न्यायालय के निष्पादन हेतु प्रस्तुत प्रकरण प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश सूरजपुर के न्यायालय प्रस्तुत किये जायेंगे।


(हेमंत सराफ)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सूरजपुर (छ0ग0)

न्यायाधीशों के अवकाश व अनुपस्थिति की दशा में आवश्यक सिविल मामलों तथा अत्यावश्यक कार्य निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित न्यायालयों द्वारा किया जावेगा।

क्र0	न्यायाधीश का पदनाम	अवकाश अथवा अनुपस्थिति अवधि में अधिकृत न्यायाधीश
1	2	3
1.	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर उनकी अनुपस्थिति में तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रतापपुर।
2.	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), सूरजपुर	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर उनकी अनुपस्थिति में तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर, अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर एवं उक्त सभी की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रतापपुर।
3.	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर	द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर उनकी अनुपस्थिति में तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर, अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर, उपस्थिति में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), सूरजपुर, एवं उक्त सभी की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रतापपुर।
4.	द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर	तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर उनकी अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर एवं उक्त सभी की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रतापपुर।
5.	तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर.	द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर उनकी अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर उनकी अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर एवं उक्त सभी की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रतापपुर।
6.	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रतापपुर	प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर उनकी अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर उनकी अनुपस्थिति में तृतीय अतिरिक्त जिला एवं

		सत्र न्यायाधीश,सूरजपुर, उक्त सभी की अनुपस्थिति में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर.
7	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सूरजपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में प्रथम अति.व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, उनकी अनुपस्थिति में तृतीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 उनकी अनुपस्थिति में चतुर्थ अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सूरजपुर एवं उक्त सभी की अनुपस्थिति में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,प्रतापपुर।
8	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सूरजपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में प्रथम अति.व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, उनकी अनुपस्थिति में तृतीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 उनकी अनुपस्थिति में चतुर्थ अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सूरजपुर एवं उक्त सभी की अनुपस्थिति में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,प्रतापपुर।
9	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश, सूरजपुर.	तृतीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 उनकी अनुपस्थिति में चतुर्थ अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सूरजपुर उनकी अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सूरजपुर उक्त सभी की अनुपस्थिति में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, प्रतापपुर..
10	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के तृतीय अति. न्यायाधीश, सूरजपुर.	प्रथम अति.व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2,सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में चतुर्थ अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सूरजपुर उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सूरजपुर. उनकी अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सूरजपुर, उक्त सभी की अनुपस्थिति में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, प्रतापपुर.
11	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के चतुर्थ अति. न्यायाधीश, सूरजपुर.	प्रथम अति.व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2,सूरजपुर, उनकी अनुपस्थिति में तृतीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सूरजपुर उनकी अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सूरजपुर उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सूरजपुर. उक्त सभी की अनुपस्थिति में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, प्रतापपुर.
12	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, प्रतापपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सूरजपुर उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सूरजपुर उनकी अनुपस्थिति में प्रथम अति.व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सूरजपुर उनकी अनुपस्थिति में तृतीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, उनकी अनुपस्थिति में चतुर्थ अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सूरजपुर

नोट :-

1. अपर जिला न्यायाधीश, बैकुण्ठपुर कैम्प, सूरजपुर के निर्णय एवं आज्ञा, आदेश/अवार्ड से उत्पन्न निष्पादन, विविध प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, सूरजपुर के न्यायालय में की जावेगी।
2. अपर सत्र न्यायाधीश, प्रतापपुर की अनुपस्थिति में उक्त न्यायालय के आदेश पत्रिकाओं तथा जेल वारंट में **औपचारिक हस्ताक्षर** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, प्रतापपुर से लिये जायेंगे।

(हेमंत सराफ)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सूरजपुर (छोगो)

पृष्ठांकन क्रमांक क/एक-15-3/2013,

सूरजपुर, दिनांक 17.09.2019

यथा निर्देशित प्रतिलिपि :-

1. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/(एफ.टी.सी.), सूरजपुर..
2. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रतापपुर
3. अध्यक्ष, जिला न्यायालय कम्प्यूटर कमेटी, सूरजपुर
4. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सूरजपुर/प्रतापपुर
5. प्रथम/तृतीय/चतुर्थ अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सूरजपुर.
7. प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,सूरजपुर
8. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, सूरजपुर/प्रतापपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17-9-19
न्यायालय अधीक्षक
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सूरजपुर (छोगो)